राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1400/2009/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, वृत–एफ, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स राजू ब्रदर्स,
495, बोरडी का रास्ता, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 16/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 669/अतिरिक्त आयुक्त/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–एफ, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.1999 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 30 के तहत् कुल मांग रूपये 6,69,880/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 95–96 से संबंधित विक्रय प्रपत्र एस.टी.–5–ए दिनांक 31.10.1996 को प्रस्तुत किया जिसके आधार पर स्व–कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। पुनः जॉच पर पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में राज्य बाहर से आयातित निवार का विक्रय किया जिस पर देय कर नहीं चुकाया। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(11)एफडी/ग्रुप–4/95–96 दिनांक 27.03.95 से परिलक्षित होता है कि कॉटन फेब्रिक्स यानि कि निवार के विक्रय पर, विक्रय कर से छूट इस शर्त पर प्रदान की गई है कि इसके उत्पादन पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आरोपणीय है एवं इन वस्तुओं को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से विशेष रूप से मुक्त नहीं किया गया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक शर्त है कि विक्रेता व्यवसाई इसका सबूत पेश करे कि उक्त निवार पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में निवार के विक्रय पर सामान्य दर 10 प्रतिशत से कर देयता है। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया, लेकिन कोई उपस्थित नहीं होने की दशा में सशक्त अधिकारी ने एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए धारा 30 के तहत् निवार

लगातार.....2

विक्रय सामान्य दर से कर योग्य होने से विक्रय राशि पर 10 प्रतिशत से कर रूपये 3,61,633/– एवं ब्याज 45 माह का रूपये 3,08,247 आरोपित करते हुए कुल मांग रूपये 6,69,880/– कायम की। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 23.04.2009 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित कुल मांग राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ–4(19)एफडी/टैक्स डिव./97–24 दिनांक 30.09.1999 के द्वारा निवार की बिक्री को दिनांक 27.03.1995 से 25.03.1999 तक की अवधि के लिए कर मुक्त घोषित किया है। अतः जब सरकार द्वारा निवार पर उपरोक्त अवधि के लिए कर देयता ही समाप्त कर दी गई है, ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशि अनुचित व अविधिक है। विद्वान अधिवक्ता ने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। वर्तमान प्रकरण में यह निर्विवाद है कि प्रत्यर्थी द्वारा वर्ष 1995–96 में निवार का विक्रय किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ–4(19)एफडी/टैक्स डिव./97–24 दिनांक 30.09.1999 के द्वारा निवार की बिक्री को दिनांक 27.03.1995 से 25.03.1999 तक की अवधि के लिए कर मुक्त घोषित किया है। अतः जब सरकार द्वारा निवार पर उपरोक्त अवधि के लिए कर देयता ही समाप्त कर दी गई है, तब विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील चलने लायक नहीं है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष